

कार्यालय,

उच्च शिक्षण आयोग, प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सखनऊ।

संख्या- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

सखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञापन:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभवन हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार 'पाठ्यक्रम' प्रवेश शर्तों वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेचन के अनुरूप में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रदेश शर्तों हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4091-S.N.COLLEGE OF PHARMACY,VILL-BABUPUR,KOHADE SULTANPUR,LAKHAUVA BAZAR FATEHGANJ,JAUNPUR-222132

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निमित्त नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनू पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर साहज्य द्वारा निर्गत किये जाने वाले साहज्यदेश प्रकाशी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश साहज्य के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत साहज्यदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनावे गये विधि/नियमों/अधिनियमों/साहज्यदेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनावे गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का

प्राप्त करने के लिये वाप्य होगा।

- ✓ विप्लोम इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्था यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उपलब्धियों संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद टावर किया जाता है तथा टावर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विप्लोम इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघमित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश नवगठित द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेजित प्रवेश परीक्षा हेतु कंट्रोलरशिप प्राप्त होने के पूर्व पी.सी.आई.डी. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कंट्रोलरशिप के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिक्षण हेतु उपयुक्त सातवर्षीय उपलब्ध कराये के साथ रेगियन टोन्ने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परराष्ट्रिय संघमित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कारो लये अजिमेस, भूमि-अवतन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशास की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण टीम यदि संस्था में भूमि, अवतन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए.आई.सी.टी.आई.डी. पी.सी.आई.डी. परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता कर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा कर्तों का अनुरोधन किये जाने की स्थिति में निधमानुसार अनुशासनपरक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ.सं.0- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, S.N. COLLEGE OF PHARMACY, VILL-BABUPUR, KOHADE SULTANPUR, LAKHAUVA BAZAR FATEHGANJ, JAUNPUR-222132

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
जयपुर प्रदेश अधिनियम।**

संख्या- इतिहास/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

अवधिका दिनांक: 18-8-2020

-कार्यालय द्वारा-

अतिरिक्त भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा सैलिक सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने से उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, जयपुर अधिनियम से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को जयपुर प्राविधिक शिक्षा परिषद, जयपुर अधिनियम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यवाही में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में भारतीय द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अतिरिक्त नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश समता सुविधा अतिरिक्त ज्ञान सौरी या विस्तार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुक्रम में सम्बद्धता सशर्त की बैठक में भाग-3 में विद्यार्थी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकाशन तथा गया। सम्बद्धता सशर्त द्वारा ज्ञान विस्तार-विस्तार कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

- निम्नी क्षेत्र में स्थापित विद्यार्थी इन भारतीय पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, जयपुर अधिनियम से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईए द्वारा उन्हें सहायता अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईए द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश समता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सशर्त द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईए द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को जयपुर सम्बद्धता सशर्त की बैठक में दिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, जयपुर अधिनियम द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों में अतिरिक्त पाठ्यक्रम एवं ज्ञान अतिरिक्त प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	पाठ्यक्रम का नाम	पीठसीआईए द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रदान समता	पीठसीआईए द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रदान समता
1	एनए	राजस्थान अतिरिक्त प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, जयपुर।	विद्यार्थी इन सशर्त	आ	आ

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीठसीआईए/पीठसीआईए द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था जयपुर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं जयपुर प्राविधिक शिक्षा परिषद विधिवत/व्यवस्थापित 1982, संशोधित विधिवत/व्यवस्थापित-2014 एवं अन्य विहित विधियों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण सशर्त द्वारा निर्धारित शुल्क क्षेत्र अतिरिक्त प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम हेतु रु. 30,00,00/- अतिरिक्त प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम हेतु रु. 40,00,00/- अतिरिक्त एवं सत्र 2020-21 अतिरिक्त पाठ्यक्रम (से अतिरिक्त भारतीय पाठ्यक्रम से अतिरिक्त) हेतु रु. 50-22,000-



**कार्यालय,
राष्ट्रीय, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय प्रार्थ:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संश्लिष्ट सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा सार्वीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद सचिव लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विवरण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अग्र्या प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्योत्तर में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित एवं संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं का सम्बद्धता विवरण/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता सूची/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक के पद-17 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम सम्बन्धित करने वाली पूर्ण से सम्बद्धता संख्या का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

ऐसी नवस्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आहूत कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।"

अतः निम्नानुसार सम्बन्धित संख्या को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, का 80 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु विनियमित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित संस्था प्रस्ताव	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4001	ए0आई0सी0टी0ई0 फार्मेसी, कि. कापुर, कोटा, मुल्तापुर, लखनऊ संजारा, फीडबैक, भीमपुर, 202132	डिप्लोमा इन फार्मेसी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संख्या ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ संख्या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982 तथा अन्य विनियम विधियों का अग्रगण्य कार्योत्तर तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क को पूर्णतः इसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 20,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्र दो वर्षीय पाठ्यक्रम (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,000/-

